न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 15/2016/अजमेर (2016/00014)

संदीप चतुर्वेदी पुत्र स्व0 श्री ओमप्रकाश चतुर्वेदी निवासी 722/31, दीप भवन नगरा अजमेर

अपीलान्ट

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत नियम 18 शस्त्र अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर
आदेश कमांक न्याय/शस्त्र/2016/2348 दिंनाक 17.02.2016

————

उपस्थितः 1— श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलान्ट
2— श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

निर्णय

दिनांक :16.03.2020

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने उसके पिता श्री ओम प्रकाश चतुर्वेदी के नाम जारी एक शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या पी.एस. अजमेर/पेड/0/21 सिंगल बेरल 12 बोर गन संख्या 2626 दिनांक 19—6—1974 को जारी किया गया था जो दिनांक 31—12—2014 तक नवीनीकरण होता रहा। अपीलार्थी के पिता का दिनांक 8—3—2014 को देहान्त होने पर अपीलार्थी ने अविलम्ब दिनांक 29—5—2015 को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पिता के नाम लाईसेंसशुदा हथियार को अलवरगेट, अजमेर के थाने में जमा कराने का अनुरोध किया जिसे स्वीकार कर लिया गया और अपीलार्थी ने उक्त गन पुलिस थाना अलवर गेट अजमेर में जमा करवा दी गई। अपीलार्थी ने उक्त गन विरासत से प्राप्त होने के बाद अपीलार्थी के नाम अनुज्ञा पत्र जारी करने हेतु नियम 51 आर्म्स रूल्स के अन्तर्गत आवेदन पत्र जिला

मजिस्ट्रेट, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने जिला पुलिस अधीक्षक, उप वन संरक्षक अजमेर तथा तहसीलदार अजमेर से रिपोर्ट चाही गई जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की हैसियत को ठीक बताया तथा पिता से स्थानान्तरण एवं पैतृक सम्पत्ति की आत्मरक्षा हेतु लाईसेंस दिया जाना उचित बताया। उक्त रिपोर्ट के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र क्रमांक न्याय/शस्त्र/2016/2348 दिनांक 17–2–2016 द्वारा अपीलार्थी को किसी से जानमाल का खतरा नहीं होने एवं न ही किसी व्यक्ति विशेष से धमकी इत्यादि नहीं मिलने का उल्लेख करते हुए आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया। जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के उक्त आदेश से असन्तुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub-to-limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलांट की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर के आदेश दिनांक 17–2–2016 की प्रति दिनांक 15–3–2016 को प्राप्त हुई उसके पश्चात उक्त संबंध में अन्य दस्तावेजात इकट्ठे कर एवं वकील से राय प्राप्त कर अपीलाधीन आदेश की जानकारी की तिथि से निधारित समयावधि में अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रों में एवं आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 17 (1) में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान अपील में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) में यह प्रावधान है कि लाईसेंस को जारी करने संबंधी आदेश जारी करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना आवश्यक माना गया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने आदेश जारी करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है। इस

आदेश में आवेदन पत्र को निरस्त करने के कोई कारण अंकित नहीं किये गये है। यह मात्र एक साधारण पत्र मात्र है।

उनका यह भी कथन है कि लाईसेंसिंग अथोरिटी केवल धारा 14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारण होने पर ही लाईसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि लाईसेंसिंग अथोरिटी यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स एवं एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो, व्यक्ति विकृत चित का हो, जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अपीलार्थी विकृत चित का व्यक्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक अजमेर ने भी अपीलार्थी के पक्ष में इन बिन्दुओं पर रिपोर्ट भेजी है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 17–2–2006 में यह अंकित किया है कि आपको किसी से जानमाल का खतरा नहीं है ना ही किसी व्यक्ति विशेष से धमकी आदि मिली है। उक्त दोनों कारण अनुज्ञा पत्र को निरस्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में यह कारण नहीं दर्शाया है कि पब्लिक पीस के लिए लाईसेंस दिया जाना उचित नहीं है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में लाईसेंस का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कोई कारण अंकित ही नहीं किया है। आर्म्स एक्ट की धरा 13 व 14 में नवीन लाईसेंस जारी करने के लिए जो आधार बताये गये है उसके अनुसार अपीलार्थी नवीन शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए योग्यताएं रखता है क्योंकि किसी भी अर्थोरिटी ने अपीलार्थी को अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति दर्ज नहीं करायी है। अपीलार्थी को 12 बोर बन्दूक विरासत से मिली है। अपीलार्थी अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए लाईसेंस की अनुमति चाह रहा है राज्य सरकार ने विरासत से मिले हथियार का लाईसेंस मृतक के वारिसों को दिये जाने के लिए विशेष प्रावधान किये है। इन प्रावधानों के तहत भी अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं पर विचार किये बिना ही अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जो उचित नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 17–2–2016 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञापत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। यधपि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर की रिपोर्ट दिनांक 27–8–2015 में अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति होना नहीं दर्शाया है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण भी दर्ज नहीं है। परन्तु जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपीलार्थी को जानमाल का खतरा नहीं होने व किसी व्यक्ति विशेष से धमकी

इत्यादि नहीं मिलने का आधार मानकर आवेदन पत्र अस्वीकार किया है। अपीलार्थी को किससे जान का खतरा है इसका उल्लेख आवेदन पत्र में नहीं किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 17–2–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक अजमेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि अपीलार्थ हिस्ट्रीशीटर नहीं है तथा उसके विरूद्ध न ही कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज है तथा अपीलार्थी के विरूद्ध शांति भंग करने की कार्यवाही कभी भी नहीं हुई है। आवेदक ने अपने पिता के नाम दर्ज शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपने नाम कराना चाहता है। अतः शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिया जाना उचित है। इसी प्रकार तहसीलदार, अजमेर एवं उप वन संरक्षक अजमेर द्वारा भी अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश स्पीकिंग आदेश नहीं है तथा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। उन्होंने अपने आदेश में अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त करने संबंधी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किये है जबकि जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर द्वारा शस्त्र अनुज्ञा पत्र जारी करने की अनुशंषा की गई है। साथ ही अपीलार्थी के विधिक वारिसानों द्वारा उनके पिता के नाम जारी शस्त्र अनुज्ञा पत्र को अपीलार्थी के नाम किये जाने हेतु शपथ पत्र भी प्रस्तुत किये गये है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर को अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। आर्म्स एक्ट 1959 की धारा 13(1) व 14 (3) में यह प्रावधान है कि लाईसेंस जारी करने संबंधी आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिए। लाईसेंसिंग अथोरिटी केवल धारा 14 में वर्णित उपधारा (1) व (2) में वर्णित कारण होने पर ही लाईसेंस देने के लिए इन्कार कर सकते है। आयुद्ध अधिनियम की धारा 14 (1)(ख) के अन्तर्गत लाईसेंसिंग अथोरिटी यदि किसी व्यक्ति को आर्म्स एवं एम्यूनेशन रखने के लिए विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत रोक लगा रखी हो, व्यक्ति विकृत चित का हो, जहां लोक शांति व सुरक्षा के लिए लाईसेंस देना उचित नहीं है। अपीलार्थी के विरूद्ध किसी भी न्यायालय ने आर्म्स व एम्यूनेशन रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगा रखा है। अपीलार्थी विकृत चित का व्यक्ति नहीं है। पुलिस अधीक्षक अजमेर, उप वन संरक्षक, अजमेर एवं तहसीलदार, अजमेर ने भी अपीलार्थी के पक्ष में रिपोर्ट प्रेषित की है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने अपने आदेश में अपीलार्थी का लाईसेंस का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का प्रार्थना पत्र निरस्त करने का कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर ने पुलिस अधीक्षक, अजमेर, उप वन संरक्षक, तहसीलदार अजमेर की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा दिये गये दस्तावेजी साक्ष्यों को नजर अन्दाज कर अपीलार्थी का आवेदन पत्र निरस्त किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में पुनः विचार किया जाना आवश्यक होने से जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर का आदेश दिनांक 17–2–2016 निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर) का आदेश क्रमांक/न्याय/शस्त्र/2016/2348 दिनांक 17–02–2016 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन व अध्ययन कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर